



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2017/माघ 21, 1938

No. 349]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017/MAGHA 21, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2017

का.आ. 385(अ).— केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में किसी भी तेल क्षेत्र में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 17 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 22.08.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.09.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.03.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/10/97-आइ.आर.(पी.एल)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2017/माघ 21, 1938

No. 348]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017/MAGHA 21, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2017

का.आ. 384(अ).— केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक: 12.07.2016 द्वारा खनिज तेल (कच्चा तेल) मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल विविध हाईड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण जिन में सिंथेटिक तेल, ल्युब्रिकेटिंग तेल और इसी प्रकार के तेल शामिल हैं के निर्माण या उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं में है, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 26 में शामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक 01.08.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 01.03.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/6/97-आइ.आर.(पी.एल)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2017/माघ 21, 1938

No. 350]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017/MAGHA 21, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2017

का.आ. 386(अ).— केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में ताम्बा खनन उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 13 में शामिल है, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 22.08.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 26.08.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 26.02.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/11/97-आइ.आर.(पी.एल)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 860]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 2017/ चैत्र 6, 1939

No. 860]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 2017/CHAITRA 6, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2017

का.आ. 963(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में कोयला उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 4 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 29.09.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 29 सितम्बर, 2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 29 मार्च, 2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/97-आइ.आर. (पी.एल.)

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 2017/फाल्गुन 17, 1938

No. 697]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 8, 2017/PHALGUNA 17, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2017

का.आ. 774(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में नभिकीय ईंधन, संघटक, भारी पानी और संवध रसायन तथा आणविक ऊर्जा में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल है जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 28 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 29.09.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 29.09.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 29.03.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस- 11017/3/97-आई.आर. (पी.एल.)]

राजीव अरोडा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 698]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 2017/फाल्गुन 17, 1938

No. 698]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 8, 2017/PHALGUNA 17, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2017

का.आ. 775(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में युरेनियम उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 19 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 31.08.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 11 सितम्बर, 2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 11 मार्च, 2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/9/97-आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2017

S.O. 775(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the services in **Uranium Industry** which is covered by item 19 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a **Public Utility Service** for the purpose of the said Act, as was notified for a period of six months with effect from 11th September, 2016 vide this Ministry's Notification dated 31.08.2016.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1202]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939

No. 1202]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

का.आ. 1362(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में अल्युमिना और अल्युमिनियम का विनिर्माण तथा बॉक्साइट का उत्खनन में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 30 एवं 31 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 16.11.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.11.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.05.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2011-आइ.आर.(पी.एल)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1068]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2017/चैत्र 28, 1939

No. 1068]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2017/CHAITRA 28, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2017

का.आ. 1208(अ).— केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में यात्रियों अथवा सामान की ढुलाई के लिए (भूमि अथवा जल द्वारा) परिवहन (रेलवे के आलावा) में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल है जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 1 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 07.10.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 22.10.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 22.04.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2009-आइ.आर.(पी.एल.)]

रजित पुन्हानी, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2017/चैत्र 28, 1939

No. 1067]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2017/CHAITRA 28, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2017

का.आ. 1207(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में बैंकिंग उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 2 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 28.09.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 21.10.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 21.04.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/97-आइ.आर.(पी.एल.)]

रजित पुन्हानी, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1275]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 8, 2017/वैशाख 18, 1939

No. 1275]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 8, 2017/VAISAKHA 18, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2017

का.आ. 1443(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) एवं सालबोनी (पश्चिम बंगाल), में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 25 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/96 -आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2017

S.O. 1443(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the **Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Limited, Mysore (Karnataka) and Salboni (West Bengal)** which is covered by item 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1816]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 29, 2017/आषाढ़ 8, 1939

No. 1816]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 29, 2017/ASADHA 8, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2017

का.आ. 2038 (अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि 'ईंधन गैसों का प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण' (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और जैसे) उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 29 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2017-आईआर (पीएल)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2017


S.O. 2038(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the **Processing or production or distribution of fuel gases (coal gas, natural gas and the like)** which is covered by item 29 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a 'Public Utility Service' for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a 'Public Utility Service' for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S.-11017/2/2017-IR (PL)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

4002 GI/2017



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1738]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2017/ज्येष्ठ 30, 1939

No. 1738]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2017/JYAISTHA 30, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2017

का.आ. 1957(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22.12.2016 द्वारा घोषित वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित उद्योगों/प्रतिष्ठानों की सेवाओं को जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की विभिन्न मदों के अंतर्गत शामिल किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 दिसम्बर, 2016 से छः माह की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, नामतः—

- (i) भारत सरकार टकसाल, कोलकाता, नोएडा, मुम्बई, हैदराबाद और चेरियापल्ली जिन्हें प्रथम अनुसूची सूची की मद संख्या 11 में शामिल किया गया है;
- (ii) भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय नासिक, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 12 में शामिल किया गया है;
- (iii) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 12 में शामिल किया गया है;
- (iv) सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 21 में शामिल किया गया है;
- (v) बैंक नोट प्रेस, देवास जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22 में शामिल किया गया है;
- (vi) करैसी नोट प्रेस, नासिक रोड जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 25 में शामिल किया गया है;

और जबकि केन्द्रीय सरकार का अब यह भी मत है कि लोकहित में इन उद्योगों/प्रतिष्ठानों को इसकी अधिसूचना की तारीख से आगे छः माह की अवधि के लिए उक्त लोक उपयोगी सेवा स्थिति का विस्तार अपेक्षित है।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1737]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2017/ज्येष्ठ 30, 1939

No. 1737]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2017/JYAISTHA 30, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2017

का.आ. 1956(अ)—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 7 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/7/2011-आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2017

S.O. 1956(E)—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the **Iron and Steel Industry** which is covered by item 7 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a 'Public Utility Service' for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a 'Public Utility Service' for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S.-11017/7/2011-IR (PL)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1578]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2017/ ज्येष्ठ 15, 1939

No. 1578]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2017/ JYAISTHA 15, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

का.आ. 1783(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15.12.2016 द्वारा भारतीय खाद्य निगम, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 6 में शामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक 15.12.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15.06.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. संख्या एस-11017/5/91-आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1577]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2017/ ज्येष्ठ 15, 1939

No. 1577]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2017/ JYAISTHA 15, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

का.आ. 1782(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक; 15.12.2016 द्वारा ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और ऐसी अन्य) के प्रसंस्करण एवं उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं को जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 29 में शामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक: 18.12.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 18.06.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2003—आइ.आर. (पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1576]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2017/ज्येष्ठ 15, 1939

No. 1576]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2017/JYAISTHA 15, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

का.आ.1781(अ).— केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में लोह अयस्क खनन उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 16 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 15.12.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 18.12.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 18.06.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं.एस-11017/13/97-आइ.आर. (पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1575]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2017/ज्येष्ठ 15, 1939

No. 1575]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2017/JYAISTHA 15, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

का.आ.1780 (अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में रक्षा प्रतिष्ठान में लगे उद्योगों की सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 8 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 25.11.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 22.12.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 22.06.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं.एस-11017/8/2011-आइ.आर. (पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2450]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 2017/भाद्र 6, 1939

No. 2450]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 2017/BHADRA 6, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2017

का.आ. 2796(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में युरेनियम उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 19 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 08.03.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 11 मार्च, 2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 11 सितम्बर, 2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/9/97-आई.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2331]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 2017/श्रावण 25, 1939

No. 2331]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 2017/SRAVANA 25, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2017

का.आ. 2665(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक: 10.02.2017 द्वारा खनिज तेल (कच्चा तेल) मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल, विविध हाईड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण जिन में सिंथेटिक तेल, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और इसी प्रकार के तेल शामिल हैं के निर्माण या उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं में है, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 26 में शामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक 01.03.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 01.09.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/6/97-आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2332]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 2017/श्रावण 25, 1939

No. 2332]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 2017/SRAVANA 25, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2017

का.आ. 2666(अ).— केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में ताम्बा खनन उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 13 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 10.02.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 26.02.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 26.08.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।-

[फा. सं. एस-11017/11/97-आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2132]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2017/श्रावण 10, 1939

No. 2132]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2017/SRAVANA 10, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2017

का.आ. 2430(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि बैंक नोट पेपर मिल प्राईवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 32 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2016—आई.आर. (पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2017

S.O. 2430(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Bank Note Paper Mill India Private Limited, Mysore, Karnataka which is covered by item 32 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/1/2016-IR (PL)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

4636 GI/2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.01 23:12:17 +05'30'



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2640]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2017/भाद्र 22, 1939

No. 2640]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2017/BHADRA 22, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2017

का.आ. 3017(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में किसी भी तेल क्षेत्र में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल है जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 17 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 10.02.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.03.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.09.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/10/97-आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2641]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2017/भाद्र 22, 1939

No. 2641]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2017/ BHADRA 22, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2017

का.आ. 3018(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में नाभिकीय ईंधन संघटक, भारी पानी और संबन्ध रसायन तथा आणविक उर्जा, में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 28 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 08.03.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 29.03.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 29.09.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/3/97-आइ.आर. (पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3022]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939

No. 3022]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3453(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि यात्रियों अथवा सामान की दुलाई के लिए (भूमि अथवा जल द्वारा) परिवहन (रेलवे के आलावा) में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 1 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2009-आइ.आर. (पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2017

S.O. 3453(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Transport (other than Railways) for the Carriage of passengers or goods (by land or water) which is covered by item 1 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a 'Public Utility Service' for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a 'Public Utility Service' for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/1/2009-IR (PL)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

6422 GI/2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK
KUMAR

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 2017.10.30
15:42:40 +05'30'



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2918]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 16, 2017/आश्विन 24, 1939

No. 2918]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 16, 2017/ASVINA 24, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3334(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में बैंकिंग उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 2 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 18.04.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 21.04.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा II के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 21.10.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/97-आई.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2017

S.O. 3334(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the services in Industry 'Banking Industry' which is covered by item 2 of



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2917]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 16, 2017/आश्विन 24, 1939

No. 2917]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 16, 2017/ASVINA 24, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3333(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि कोयला उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 4 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/97-आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2017

S.O. 3333(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the **Coal Industry** which is covered by item 4 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/2/97-IR (PL)]

RAJEEV ARORA Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3143]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 13, 2017/कार्तिक 22, 1939

No. 3143]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 13, 2017/KARTIKA 22, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2017

का.आ. 3584(अ).— केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में 'अल्युमिना और अल्युमिनियम का विनिर्माण' तथा 'बॉक्साइट का उत्खनन' में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 30 एवं 31 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 28.04.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.05.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.11.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2011-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3082]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 2017/कार्तिक 12, 1939

No. 3082]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 2017/KARTIKA 12, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2017

का.आ. 3517(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) एवं सालबोनी (पश्चिम बंगाल), में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 25 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 08.05.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 08 मई, 2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 08 नवम्बर, 2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/96 - आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3399]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 2017/अग्रहायण 22, 1939

No. 3399]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2017/AGRAHAYANA 22, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2017

का.आ. 3875(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में लोहा एवं इस्पात उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 7 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 20.06.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 20.06.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 20.12.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/7/2011-आई.आर. (पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3400]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 2017/अग्रहायण 22, 1939

No. 3400]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2017/AGRAHAYANA 22, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2017

का.आ. 3876(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक: 29.06.2017 द्वारा 'ईंधन गैसों का प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण' (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और जैसे) उद्योग में सेवाओं को जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 29 में शामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक: 29.06.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 29.12.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2017-आई.आर. (पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3401]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 2017/अग्रहायण 22, 1939

No. 3401]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2017/AGRAHAYANA 22, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2017

का.आ. 3877(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में लोह अयस्क खनन उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 16 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 05.06.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 18.06.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 18.12.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/13/97-आई.आर. (पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3560]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 2017/पौष 6, 1939

No. 3560]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 2017/PAUSHA 6, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4068(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि भारतीय खाद्य निगम में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 6 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/91-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 4068(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the 'Food Corporation of India (FCI)' which is covered by item 6 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a 'Public Utility Service' for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a 'Public Utility Service' for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/5/91-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

7415 GI/2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2017.12.29 19:08:25
+05'30'